-प्रेस नोट- दिनांक-20.08.2019

थाना स्वार:-मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार दिनांक 05-06-2019 को 1. खलील पुत्र सद्दीक 2. सद्दीक पुत्र रशीद 3. जमील पुत्र सद्दीक 4. जुल्फे पुत्र हसमत अली 5. फेजान पुत्र खलील समस्त निवासीगण मुकर्रमपुर थाना स्वार, रामपुर द्वारा वादी श्री नजर अली पुत्र मुनव्वर अली निवासी ग्राम मुकर्रमपुर थाना स्वार, रामपुर व उसके भतीजे के साथ मारपीट कर गम्भीर चोट पहुॅचाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी श्री नजर अली उपरोक्त द्वारा थाना स्वार पर मु0अ0सं0- 373/2019 धारा 323/324/325/326/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 20-08-2019 को थाना स्वार पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभि0 खलील तथा जमील पुत्रगण सद्दीक निवासीगण मुकर्रमपुर थाना स्वार, रामपुर को धनौरी मोड़ से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना स्वार:-मारपीट कर गम्भीर चोट पहुॅचाने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार दिनांक 19-08-2019 को 1. इमरान 2. रिजवान 3. उमर अली 4. सहनवाज पुत्रगण नामे अली निवासीगण नानकार रानी थाना स्वार, रामपुर द्वारा वादी श्री इरशाद पुत्र अहमद जान निवासी नानकार रानी थाना स्वार, रामपुर के साथ मारपीट कर गम्भीर चोट पहुॅचाने के सम्बन्ध में वादी श्री इरशाद उपरोक्त द्वारा थाना स्वार पर मु0अ0सं0- 598/2019 धारा 323/324/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 20-08-2019 को थाना स्वार पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभि0 इमरान तथा उमर अली पुत्रगण नामे अली निवासीगण नानकार रानी थाना स्वार, रामपुर को उनके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना मिलक:-दहेज की मांग करने व तीन तलाक देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार दिनांक 20-08-2019 को थाना मिलक पुलिस द्वारा इमरान पुत्र आलिम निवासी खाता नगरिया थाना मिलक, रामपुर को ग्राम खाता नगरिया से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 03-08-2019 को थाना मिलक पर पंजीकृत मु0अ0सं0-344/2019 धारा 498ए,323,354,506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधि0 2019 में वांछित चल रहा था। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

थाना सिविल लाइन:-चोरी के मोबाइल के साथ प्रकाश में आया अभि0 गिरफ्तार दिनांक 19-06-2019 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मस्जिद में घुसकर वादी मौलाना मौ0 उमर निवासी कचहरी वाली मस्जिद थाना सिविल लाइन, रामपुर का मोबाइल व पर्स चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-449/2019 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20-08-2019 को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में अभि0 सलमान पुत्र खलील अहमद निवासी काशीपुर आंगा थाना गंज, रामपुर को चोरी किये मोबाइल के साथ राम रहीम पुल टैक्सी स्टैण्ड से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना शहजादनगर:-छेडछाड करने वाला पकड़ा

दिनांक 19-08-2019 को थाना शहजादनगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त मौ0 रफीक पुत्र अब्दुल हमीद निवासी भण्डपुरा थाना शहजादनगर, रामपुर को वहाॅ पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा पकड़कर थाना शहजादनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसके विरूद्ध थाना शहजादनगर पर मु0अ0सं0-276/2019 धारा 354 भादवि व 7/8 पाॅक्सो एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना केमरीः-20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 गिरफ्तार

दिनांक 20-08-2019 को थाना केमरी पुलिस द्वारा बब्लू पुत्र भूखनलाल निवासी ग्राम बिढऊ थाना केमरी, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी जिसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना केमरी पर मु0अ0सं0-324/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।